रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

16 AUG 1974

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1974 (ज्येष्ठ 11, 1896)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1974 (JYAISTHA 11, 1896)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किए गए हैं—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 28th February 1973:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

——शून्य——

——Nil——

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	567
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	895
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	93
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	623
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1161
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1449
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	219
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	241
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	23
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	291
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	91
पूरक संख्या 22—	
11 मई, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	631
27 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 40,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-संबंधी आंकड़े	643

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	567
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	895
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	93
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	623
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1161
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	449
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	219
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	241
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	23
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	291
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	91
SUPPLEMENT NO. 22	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 11th May, 1974	631
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 27th April 1974	643

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायलय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जून, 1974

नियम

सं० 10/8/74-के० सी० II—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, मन्त्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड ,III सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III तथा भारतीय विदेश सेवा (बी) के आशुलिपिक उप संवर्ग के ग्रेड III में अस्थाई रिक्तियों को भरने के लिए 1974 में ली जाने वाली विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किए जाते हैं :—

2. विभिन्न सेवाओं में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्धक संस्थान, द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा नियत रिक्तियों के सम्बन्ध में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अर्थ उस किसी भी जाति/आदिम जाति से है जिनका बम्बई पुर्नगठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश सूचियां संशोधन अधिनियम, 1956 संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1959 संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित आदेश, 1962 संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967 संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनसूचित जाति आदेश 1968 संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) आदिम जाति आदेश 1963 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 में उल्लेख हैं।

3. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ली जाएगी

परीक्षा की तारीखों और स्थान सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा नियत किए जाएंगे।

4. नियमित रूप में नियुक्ति कोई भी स्थायी या अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, इस परीक्षा में बैठने तथा आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III की उन रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगिता करने का पात्र होगा जो उनकी लिपिक सेवा के सुसंगत है, अर्थात केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III की रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगिता कर सकेंगे। सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा के ग्रेड III की रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगिता कर सकेंगे और आई० एफ० एस० ब्रांच (बी) के ग्रेड VI अथवा ग्रेड V के अधिकारी आई० एफ० एस० (बी) के आशुलिपिकों के ग्रेड III के उपसंवर्ग की रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगिता कर सकेंगे।

(I) **सेवा की अवधि** :—उसने निम्नलिखित ग्रेड में 1 जनवरी 1974 को कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा कर ली हो :—

वर्ग-I :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड अथवा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड या अवर श्रेणी ग्रेड अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य ऐसा ग्रेड जिसकी एक जुलाई, 1959 से पहले न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान का क्रमश: 55 रु० और 130 रु० से कम न रहा हो और 1 जुलाई, 1959 को या उसके बाद किन्तु एक जनवरी, 1973 से पहले क्रमश: 110 रु० और 180 रु० से कम नहीं है। परन्तु एक जनवरी, 1973 को या उसके बाद क्रमश: रु० 260/- और रु० 400/ से कम नहीं हो।

टिप्पणी-1:—यदि किसी उम्मीदवार की गिनने योग्य कुल सेवा अंशत: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में और अंशत: किसी दूसरी जगह, जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित है, की गई हो तो भी तीन वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा की सीमा लागू होगी।

टिप्पणी 2:—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि:संवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि:संवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

टिप्पणी 3:—अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आवंटित हो या उसके पश्चात उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में दीर्घ-कालीन आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हो।

वर्ग-II—सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा का अवर श्रेणी ग्रेड और अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य ऐसा ग्रेड जिसका एक जुलाई, 1959 से पहले न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान का क्रमशः रु० 55 और रु० 130 से कम न रहा हो और 1 जुलाई 1959 को या उसके बाद किन्तु एक जनवरी, 1973 से पहले क्रमशः रु० 110 और रु० 180 से कम नहीं हो परन्तु एक जनवरी, 1973 को या उसके बाद क्रमशः रु० 260/- तथा रु० 400/- से कम न हो।

टिप्पणी-1—यदि किसी उम्मीदवार की संगणनीय सेवा अंशतः सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में और अंशतः किसी समकक्ष ग्रेड में हो तो तीन वर्ष की अनुमोदित तथा अविरत सेवा की सीमा भी लागू होगी।

टिप्पणी-2 :—सशस्त्र सेना मुख्यालय के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निःसंवर्ग पदों में, प्रतिनियुक्ति पर है, यदि अन्यथा पात्र हों तो, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का सशस्त्र सेना मुख्यालय का अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

वर्ग-III :—भारतीय विदेश सेवा (बी) का ग्रेड V और/अथवा ग्रेड VI

टिप्पणी-I :—भारतीय विदेश सेवा बी का ग्रेड VI अथवा V के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निःसंवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर है, यदि अन्यथा पात्र हो तो, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और उस अधिकारी का भारतीय विदेश सेवा 'बी' का ग्रेड तथा में निर्णायक तारीख मे फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

II. **आयु**—उसकी 1 जनवरी, 1974 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1929 से पहले नहीं होना चाहिए।

5. ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में अतिरिक्त छूट दी जायेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1973 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 के पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार श्री लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व-टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों के समय आपातत

हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(xii) किसी दूसरे देश में संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ;

(xiii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष तक ;

(xiv) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों।

ऊपर निर्धारित की गई आयु-सीमाओं में उपर्युक्त शर्तों के अलावा किसी भी मामलों में ढील नहीं दी जाएगी।

6. परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा यदि उसके पास संस्थान द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

8. उम्मीदवारों को संस्थान के नोटिस के अनुच्छेद 5 में निर्धारित फीस देनी होगी।

9. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की ओर से कोई प्रयास किए जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्ह किया जा सकेगा।

10. यदि किसी उम्मीदवार को संस्थान द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य-साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिन में तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा भवन में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) संस्थान द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) संस्थान द्वारा, ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा तीन विभिन्न सूचियों में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों द्वारा प्रकट होने वाले योग्यता क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों की, जिन्हें संस्थान परीक्षा द्वारा अर्ह समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड III, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड I तथा भारतीय विदेश सेवा के उप-संवर्ग आशुलिपिक ग्रेड III में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने के लिए निश्चित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य मान के अनुसार उसे उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त घोषित कर देने पर उस सेवा/पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उसको सिफारिश कर दी जाएगी।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्क परीक्षा। परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा की ग्रेड III में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निश्चय करने के लिए सरकार पूर्णत: सक्षम है। अत: किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर, ग्रेड III आशुलिपिक पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

12. अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के परिणामों की सूचना का स्वरूप तथा प्रकार के बारे में संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय लिया जाएगा और संस्थान उनके साथ परीक्षा फल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

13. परीक्षा में सफलता, नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करती जब तक कि सरकार यथावश्यक जाँच-पड़ताल के पश्चात सन्तुष्ट न हो जाए कि वह उम्मीदवार सेवा की ग्रेड III में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात अथवा उसमें बैठने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है, अथवा उसके साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है, अथवा उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार "स्थानान्तरण" पर किसी संवर्ग वाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा (बी) सामान्य संवर्ग में उसका पूर्वग्रहणाधिकार नही होता है, इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नही होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया है।

के० वी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिन्दी में दो परीक्षाएं देनी होंगी—एक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट की तथा दूसरी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमशः 50 तथा 65 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमशः 60 तथा 75 मिनट मे लिप्यन्तर करना होगा।

उन उम्मीदवारों का स्थान, जो 100 शब्द प्रति मिनट पर श्रुतलेख में न्यूनतम अंक स्तर पर पास होने हैं, 80 शब्द प्रति मिनट पर श्रुतिलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा और प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों की प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों द्वारा प्रकट परस्पर योग्यता-क्रम में रखा जाएगा।

3. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने-अपने टाइपराइटर लाने होंगे।

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई, 1974

सं० यू०-13019/8/74-ए० एन० एल०—भारत सरकार, गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 26/3/71-ए० एन० एल०, दिनांक 24 अगस्त, 1972 के पैरा 4(6) के अनुसरण में राष्ट्रपति, ग्रेड निकोबार निवासी श्री गुरबचन सिंह को, अण्डमान व निकोबार द्वीप-समूह के संघ-शासित क्षेत्र के विषय में इस द्वीप-समूह के मुख्यायुक्त से सम्बद्ध सलाहकार समिति में, 31 मार्च, 1975 तक की अवधि के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैं।

के० के० गुप्ता, उप सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 1974

संकल्प

सं० 23022(23)/74-सी० 2—इस मन्त्रालय के तारीख 6 जनवरी, 1973 के संकल्प संख्या सी०-1-21 (20)/72 के अनुक्रम में, जिसे तारीख 19 नवम्बर, 1973 के संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, भारत सरकार ने इस्पात और खान मन्त्रालय इस्पात विभाग के संयुक्त सचिव श्री एम० के० गुहा को, ताप बिजलीघरों और सीमेंट कारखानों के लिए कोयले की सप्लाई के आयोजन हेतु गठित स्थायी संयोजन समिति के सदस्य के रूप में तत्काल नियुक्त करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारों, प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, अध्यक्ष कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, महालेखापाल, वाणिज्य निर्माण और विविध, नई दिल्ली को सूचनार्थ भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

एस० के० धर, निदेशक।

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई, 1974

संकल्प

सं० सी० 11013/4/73-एफ० आर० वाई० (एफ० डी०) विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई वन नीति के एकीकरण के मामले में एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और सितम्बर, 1948 में हुए राज्यों के मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने कृषि मन्त्रालय के संकल्प संख्या 6-20/49-एफ०, दिनांक 19 जून, 1950 द्वारा केन्द्रीय कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय वन मण्डल का गठन किया है। देश भर में प्राप्त हुए अनुभव के सामान्य पूल के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त यह मंडल वानिकी सम्बन्धी मामलों, और विशेषकर समेकित भूमि उपयोग के विषय में पूर्ण समन्वय स्थापित रखने और वानिकी शिक्षा के मामले में पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, यह देश के विभिन्न वन विभागों के उद्देश्यों तथा आदर्शों में सामान्य समन्वय स्थापित रखने के विषय में प्रोत्साहन देगा।

2. वर्तमान औद्योगिक तथा कृषि विकास की आवश्यकता को दृष्टिकोण रखते हुए वानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाना

है और मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण उपायों, उद्योगों के विकास, इमारती लकड़ी के मानकीकरण और गैर-सरकारी वनों के नियंत्रण के लिये कानून बनाने आदि के अन्तर्राज्यीय मामलों में ठोस कार्य करने की आवश्यकता है।

3. वानिकी के क्षेत्र और वनों पर आश्रित उद्योगों के विकास में उचित समन्वय एवं एकीकरण सुनिश्चित करने और वन्य प्राणियों के संरक्षण पर बल देते हुये पर्यावरण संबंधी परिरक्षण के बढ़ते हुये कार्य को दृष्टि रखते हुये यह उचित समझा गया है कि केन्द्रीय योजना/वित्त/औद्योगिक विकास मंत्रालय और भारतीय वन्य प्राणि मंडल के एक प्रतिनिधि को भी मंडल के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से शामिल किया जाये, ताकि यह निकाय इन सम्बन्धित मंत्रालयों तथा भारतीय वन्य प्राणि मंडल के विचारों को ध्यान में रखते हुये अपनी सिफारिश कर सके और इनके शीघ्र क्रियान्वयन के मामले में, इन सबकी अधिक से अधिक सहमति प्राप्त की जा सके। इस बात को दृष्टि में रखते हुये केन्द्रीय वन मंडल के गठन में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार दिनांक 19 जून, 1950 के संकल्प (जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है), में आंशिक संशोधन करते हुये केन्द्रीय वन मंडल का निम्न प्रकार संशोधित गठन करने का निर्णय किया गया है :—

1.	केन्द्रीय कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2.	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री/उप मंत्री (वन के प्रभारी)	उपाध्यक्ष
3.	योजना के केन्द्रीय राज्य मंत्री/उपमंत्री	सदस्य
4.	केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री /उप मंत्री	सदस्य
5.	औद्योगिक विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री/ उप मंत्री	सदस्य
6.	वन के प्रभारी मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
7.	वन के प्रभारी मंत्री, असम	सदस्य
8.	वन के प्रभारी मंत्री, बिहार	सदस्य
9.	वन के प्रभारी मंत्री, गुजरात	सदस्य
10.	वन के प्रभारी मंत्री, हरियाणा	सदस्य
11.	वन के प्रभारी मंत्री, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
12.	वन के प्रभारी मंत्री, जम्मू तथा कश्मीर	सदस्य
13.	वन के प्रभारी, मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
14.	वन के प्रभारी मंत्री, केरल	सदस्य
15.	वन के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
16.	वन के प्रभारी मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
17.	वन के प्रभारी मंत्री, मणिपुर	सदस्य
18.	वन के प्रभारी मंत्री, मेघालय	सदस्य
19.	वन के प्रभारी मंत्री, नागालैंड	सदस्य
20.	वन के प्रभारी मंत्री, उड़ीसा	सदस्य
21.	वन के प्रभारी मंत्री, पंजाब	सदस्य
22.	वन के प्रभारी मंत्री, राजस्थान	सदस्य
23.	वन के प्रभारी मंत्री, तमिलनाडु	सदस्य
24.	वन के प्रभारी मंत्री, त्रिपुरा	सदस्य
25.	वन के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
26.	वन के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
27.	वन के प्रभारी मंत्री, गोवा, दमन तथा दीव	सदस्य
28.	वन के प्रभारी मंत्री, मिजोरम	सदस्य
29.	कार्यकारी पार्षद, दिल्ली, वन के प्रभारी	सदस्य
30.	मुख्य आयुक्त अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	सदस्य
31.	मुख्य आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
32.	मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ प्रशासन	सदस्य
33.	प्रशासक, दादरा, और नगर हवेली	सदस्य
34.	प्रशासक, लक्षद्वीप	सदस्य
35.	वन प्रभारी मंत्री, पांडिचेरी	सदस्य
36.	सदस्य लोक सभा	सदस्य
37.	सदस्य लोक सभा	सदस्य
38.	सदस्य राज्य सभा	सदस्य
39.	वन्य प्राणि विशेषज्ञ (डा० सलीम अली)	सदस्य
40.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)	सदस्य
41.	वन महानिरीक्षक	सदस्य
42.	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान, एवं महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
43.	सचिव, केन्द्रीय वानिकी आयोग	सदस्य सचिव

राज्य सरकारों के मुख्य वनपाल और सचिव, सम्बन्धित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक में भाग ले सकते हैं।

कार्य-कलाप

बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. राज्यों द्वारा अपने वनों में प्रबन्ध के मामले में प्रारम्भ की गई वन नीति का सम्बन्ध और समाकलन करना।
2. वन संसाधनों और मृदा को प्रभावित करने वाले संरक्षण उपायों को अपनाना।
3. भूमि उपयोग और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जिनमें वानिकी को अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, के लिए योजनाओं का समाकलन करना।
4. प्राईवेट वनों के प्रबन्ध हेतु विभिन्न राज्यों के लिए आवश्यक कानून बनाना।
5. ऐसी अन्तर्राज्य नदी घाटियों में जिनसे केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, वनों का विकास और विनियमन करना (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की मद संख्या 56 के अनुसार)।
6. अधिकारियों के प्रशिक्षण के पर्याप्त स्तरों को बनाए रखना।
7. केन्द्रीय और राज्यों के संस्थानों में होने वाले वन अनुसंधान सम्बन्धी कार्य का समन्वय करना।
8. वानिकी से सम्बन्धित कोई अन्य मामले, जिनका इस बोर्ड के उद्देश्यों से सम्बन्ध हो।

कार्य संचालन नियमावली

बोर्ड के कार्यसंचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली को अपनाया जाएगा।

1. बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

2. बोर्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण, इमारती लकड़ी के मानकीकरण वाढ़ नियंत्रण तथा भूक्षरण उपाय आदि अन्तर्राज्यीय मामलों के बारे में विचार करने के लिए तकनीकी समिति की नियुक्ति कर सकता है।

3. बोर्ड के सदस्यों का मत जानने के लिए अत्यावश्यक मामले बोर्ड के सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे।

4. सचिव, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए तिथि, समय और स्थान निश्चित करेगा। कार्यसूची को कम से कम 6 सप्ताह पहले परिचालित किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धि व्यक्तियों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० पी बालसुब्रह्मणियम,
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 1974

संकल्प

सं० 32-6/73-एल०डी० 3—पशु-सम्पदा के लिए दाने-चारे की पर्याप्त और समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने और उनके लिए सस्ते चारे की व्यवस्था करने के लिए खोई, शीरा, यूरिया और अन्य औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों या उपोत्पादों का विधिवत और किफायती प्रयोग करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए एक समिति के गठन के बारे में इस मंत्रालय के 13 दिसम्बर, 1973 के इसी संख्या के संकल्प के क्रम में भारत सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने की अवधि 15 जुलाई, 1974 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रि-मंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

आई० जे० नायडू,
अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 1974

संकल्प

सं० 53-1/73-सी०ए०-1—भारत सरकार ने भारतीय तम्बाकू विकास परिषद् को पुनर्गठित करने वाले 13 सितम्बर 1973 के संकल्प सं० 53-1/73-सी०ए०-1 के अनुच्छेद 3(ख) (7) में दिए गए सदस्यों की सूची से कृषि मूल्य आयोग का प्रतिनिधित्व समाप्त करने का निर्णय किया है।

भारत सरकार ने उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत कृषि मूल्य आयोग के एक प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल करने का भी निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति-सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्रि का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एन० ए० आगा,
अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department or Personnel and Administrative Reforms)

RULES

New Delhi, the 1st June, 1974

No. 10/8/74-CS-II.—The rules for a departmental competitive examination to be held by the Institute of Secretariat Training and Management, Cabinet Secretariat (Department of Personnel & Administrative Reforms), New Delhi, in 1974 for the purpose of filling temporary vacancies in Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade III of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, and Grade III of Stenographers' Sub-cadre of Indian Foreign Service (B) are published for general information.

2. The number of vacancies in various services to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Institute of Secretariat Training & Management. Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modifications) Order 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendement) Act, 1956, the Constitution (Jammu & Kashmir) (Scheduled Castes Order 1956, the Consitution (Andman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order,1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962. the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management, in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The date on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute of Secretariat Training & Management.

4. Any permanent or temporary regularly appointed officer who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in Grade III of the Stenographers' Service corresponding to their Clerical Service only i. e. LDCs/UDCs of C. S. C. S. will be eligible for competing for vacancies in Grade III of the C. S. S. S. only; L.D.Cs. /U.D.Cs. of A. F. H. Q. Clerical Service will be eligible for competing for vacancies in Grade III of A. F. H.Q Stenographers' Service only and officers of Grade VI or Grade V of I. F. S. (B) will be eligible for competing for vacancies in Grade III of the Stenographers' sub-cadre of I. F. S. (B) only.

(1) *Length of Service.*—He should have, on the 1st January, 1974 rendered not less than three years approved and continuous service in any one of the following three categories:—

CATEGORY I.—The Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or any other grade under the Central Government or the State Government the minimum and maximum of the scale of pay of which was not less than Rs. 55/- and Rs. 130/- respectively, prior to 1st July, 1959, was not less than Rs. 110/- and Rs. 180/- respectively on or after the 1st July, 1959 but prior to 1st January, 1973 and is not less than Rs. 260/- and Rs. 400/- respectively, on or after 1st January, 1973.

NOTE 1.—The limit of three years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of candidate is party in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and partly else where as mentioned above.

NOTE. 2.—Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

NOTE 3.—Regularly appointed officer to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules,1962, or appointed thereafter on a long term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service, as the case may be, according to the prescribed procedure.

CATEGORY II.—Lower Division Grade and/or Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service or any other grade under the Central Government or the State Government the minimum and maximum of the scale of pay of which was not less than Rs. 55/- and Rs. 130/- respectively, prior to 1st July, 1959, was not less than Rs. 110/- and Rs. 180/- respectively on or after the 1st July, 1959 but prior to 1st January, 1973, and is not less than Rs. 260/- and Rs. 400/-, respectively, on or after 1st January 1973.

NOTE 1.—The limit of three years of approved and continuous service shall also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service and partly in an equivalent grade.

NOTE 2.—Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transer if such officer continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Armed Forces Headquarters Clerical Service for the time being.

CATEGORY III.—Grade VI and/or Grade V of the Indian Foreign Service Branch (B).

NOTE 1.—Officers of Grade VI or Grade V of the Indian Foreign Service Branch (B) who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in Grade VI or Grade V of the Indian Foreign Service Branch (B) for the time being on the crucial date.

(2) *Age.*—He should not be more than 45 years of age on the 1st January, 1974 *i.e.*, he must not have been born earlier tha 2nd January, 1929.

5. The Upper age limit prescribed above will be further relaxable:—

(*i*) Up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(*ii*) Up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(*iii*) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhie East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);

(*iv*) Up to a maximum five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage;

(*v*) Up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of India origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964; under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(*vi*) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fiee repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(*vii*) Up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(*viii*) Up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United republic of Tanzania (foremerly Tanganyika and Zanzibar);

(*ix*) Up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(*x*) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriae of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(*xi*) Up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(*xii*) Up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(*xiii*) Up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(*xiv*) Up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan Hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination be final.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

8. Candidates must pay the fee prescribed in paragraph 5 of the Notice of the Institute.

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of—

(*i*) obtaining support for his candidature by any means, or

(*ii*) impersonating, or

(*iii*) procuring impersonation by any person, or

(*iv*) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(*v*) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(*vi*) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(*vii*) using unfair means in the examination hall, or

(*viii*) misbehaving in the examination hall, or

(*ix*) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(*a*) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate; or

(*b*) to be debarred either permanently or for a specified period—

(*i*) by the Institute from any examination or selection held by them;

(*ii*) by the Central Government, from any employment under them; and

(*c*) if he is already in Service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination the candidates will be arranged by the Institute in three separate lists, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade III, Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade III, and Stenographers' sub-cadre of the Indian Foreign Service (B) - Grade III.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute of Secretariat Training and Management by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Services, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade III of the Services on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade III on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in their discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to Grade III of the Service.

A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the Service or severs his connection with it or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service or Armed Forces Headquarters' Clerical Service or Indian Foreign Service (B) General Cadre, will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX

Candidates will be given two dictation tests in English or in Hindi one at 100 words per minute for seven minutes and another at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 50 and 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 60 and 75 minutes respectively.

2. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 100 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard, in dictation at 80 words per minute, persons in each group being arranged interese in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate.

3. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 22nd May 1974

No. U-13019/8/74-ANL—In pursuance of para 4(6) of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 26/3/71-ANL dated the 24th August, 1972, the President is pleased to nominate Shri Gurbachan Singh, resident of Great Nicobar, to the Advisory Committee in respect of the Union teritory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Chief Commissioner of the Islands for the period upto 31st March, 1975.

K. K. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

DEPARTMENT OF MINES

New Delhi, the 23rd May 1974

RESOLUTION

No. 23022(23)/74-CII.—In continuation of this Ministry Resolution No. CI-21(20)/72 dated the 6th January, 1973, as amended by Resolution dated the 19th November, 1973, the Government of India have decided to appoint, with immediate effect, Shri S. K. Guha, Joint Secretary, Department of Steel in the Ministry of Steel and Mines, as one of the Members of the Standing Linkage Committee for the planning of coal supples to thermal power stations and cement factories.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be Communicated to the Ministries and Departments of the Government of India President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat, State Governments, Managing Director,

Bharat Coking Coal Limited, Chairman, Coal Mines Authority Limited, Managing Director, Singareni Collieries Company Limited, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. DHAR, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

Department of Agriculture

New Delhi, the 17th May 1974

RESOLUTION

No. C.11013/4/73-FRY(FD).—With a view to ensuring an All India angle in the integration of forest policy pursued by the various States, and in the light of the recommendations made by the Conference of Ministers of States held in September, 1948, the Government of India constituted a Central Board of Forestry under the Chairmanship of the Union Minister of Agriculture *vide* Ministry of Agriculture Resolution No. 6-20/49-F, dated the 19th June, 1950. Quite apart from acting as a common pool of experience gained throughout the Union, the Board serves to secure close coordination in the forestry matters, and more specially in integrated land use and help in maintaining adequate standards in forestry education. In addition, it will stand in good ————stead in forging a common bond between the aims and ideals of inspiring the various forest departments of the Union.

2. With the urge for the industrial and agricultural develo p-ment generated, forestry has come to assume a vital role calling for concerted action in such inter-State matters as soil conservation and flood control measures, development of industries and standardisation of timbers, evolution of forest management and legislation for the control of Private forests.

3. In order to ensure proper coordination and integration of the development of the forestry sector including the forest-based industries, as also keeping in view their increasing role in the preservation of environment with stress on protection of wild-life, it has been considered desirable that the Union Ministries of the Planning/Finance/Industrial Development and a representative of the Indian Board for Wild Life are also actively associated with the deliberations of the Board, so that the recommendations of this body are made after taking into consideration the views of these concerned Ministries and Board as well, thus representing the largest measure of agreement resulting in their expeditious imple, mentation. In view of this it has become necessary to revise the composition of the Central Board of Forestry. Accordingly in partial modification of the Resolution dated 19th June 1950 as amended from time to time, it has been decided that the revised composition of the Central Board of Forestry will be as follows :—

1.	Union Minister of Agriculture		Chairman
2.	Union Minister of State/Dy. Minister (Incharge of Forestry) in the Ministry of Agriculture.		Vice Chairman
3.	Union Minister of State/Dy. Minister for Planning		Member
4.	Union Minister of State/Dy Minister for Finance.		Member
5.	Union Minister of State/Dy. Minister, Ministry of Industrial Development		Member
6.	Minister-in-charge of Forests	Andhra Pradesh	Member
7.	Do.	Assam	Member
8.	Do.	Bihar	Member
9.	Do.	Gujarat	Member
10.	Do.	Haryana	Member
11.	Do.	Himachal Pradesh	Member
12.	Do.	Jammu Kashmir	Member
13.	Do.	Karnataka	Member
14.	Do.	Kerala	Member
15.	Do.	Madhya Pradesh	Member
16.	Do.	Maharashtra	Member
17.	Do.	Manipur	Member
18.	Do.	Meghalaya	Member
19.	Do.	Nagaland	Member
20.	Do.	Orissa	Member
21.	Do.	Punjab	Member
22.	Do.	Rajasthan	Member
23.	Do.	Tamil Nadu	Member
24.	Do.	Tripura	Member
25.	Do.	Uttar Pradesh	Member
26.	Do.	West Bengal	Member
27.	Do.	Goa, Daman & Diu	Member
28.	Do.	Mizoram	Member
29.	Executive Councillor In charge of Forests	Delhi	Member
30.	Chief Commissioner	Andaman and Nicobar Islands	Member
31.	Do.	Arunachal Pradesh	Member
32.	Do.	Chandigarh Administration	Member
33.	Administrator	Dadra and Nagar Haveli.	Member
34.	Do.	Lakshadweep	Member
35.	Minister in charge of Forests	Pondicherry	Member
36.	Member, Lok Sabha		Member
37.	Do.		Member
38.	Member, Rajya Sabha		Member
39.	Wild Life Expert (Dr. Salim Ali)		Member
40.	Secretary, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture)		Member
41.	Inspector-General of Forests		Member
42.	President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.		Member
43.	Secretary, Central Forestry Commission		Member-Secretary

Chief Conservators of Forests and Secretaries to State Governments may attend along with members of the Board representing the States concerned.

Functions—The functions of the Board will be as follows:—

1. Coordination and integration of forest policy persued by States in the management of their forests.
2. The adoption of conservation measures affecting forest resources and soil.
3. Integration of plans for land use and national reconstruction in which forestry has to play a progressively important role.
4. Promotion of legislation considered necessary for various states for the management of private forests.
5. Regulation and development of forests in inter-state river valleys, which are the concern of the Central Government (*vide* item No. 56 in the list I of the Seventh Schedule of the Constitution of India).
6. Maintenance of adequate standards of the training of officers.
7. Coordination of Forest research conducted in central and State Institutes.
8. Any other matters affecting forestry which are governed and relevant to the objective of this Board.

Rules of Business.—The business of the Board will be governed by the following rules:—

1. The Board shall meet at least once in a year.
2. The Board may appoint technical committees to consider such inter-state matters as training of officers standardization of timbers, flood control, antieresion measures, etc.
3. Matters of urgent nature may be circulated to the members of the Board to elicit opinion.

4. The Secretary will fix the date, time and place for every meeting of the Board. The agenda will be circulated at least 6 weeks in advance.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be publishedin the Gazette of India for general information.

S. P. BALASUBRAMANIAM, Jt. Secy.

New Delhi, the 23rd May 1974

RESOLUTION

No. 32-6/73-L.D.III.—The continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 13th December, 1973 regarding constitution of a Committee to look into the measures necessary for ensuring adequate and proper supply of feed and fodder for Livestock and for making a systematic and economic use of Bangasse, Mollasses, Urea and other industrial wastes or bye-products for providing cheap feed to Livestock, it has been decided by the Government of India to extend the period for submission of the report of the Committee to the Government till 15-7-74.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

I. J. NAIDU, Addl.Secy.

New Delhi, the 23rd May 1974

RESOLUTION

No. F.53-1/73-C. A. I—The Government of India have decided to drop the representation of the Agricultural Prices Commission from the list of members show in Clause III(B) (vii) of the Resolution No. 53-1/73-C.A.I. dated the 13th September 1973, reconstituting the Indian Tobacco Development Council.

The Government of India have also decided to include a representative of Agricultural Prices Commission as Observer under Clause V of the Resolution referred to above.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution published in the Gazette of India for general information.

N. A. AGHA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974